



**BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 30 मई, 2024**

**"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त तुलसीराम पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम नगर थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 थाना अरनिया क्षेत्र निवासी एक नाबालिक लड़की को जबरदस्ती गाडी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.01.2017 को थाना अरनिया पर मुअसं- 01/2017 धारा 363,366,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.03.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.05.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तुलसीराम को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सैल बुलन्दशहर ।**